20-9-2023

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियेाजन अधिकारी उपस्थित। प्रकरण में गैरसायल को जारी नोटिस इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुआ है कि गैरसायल भरत कुमार पुत्र रमेशचन्द्र जैन अपना मकान बेचकर कई अन्यत्र चला गया है, वह करीब एक साल से रामपुरा में निवास नही करता है। गैरसायल को पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस भी इसी रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुये कि गैरसायल मकान बेचकर कई अन्यत्र चला गया है। जब गैरसायल मकान बेचकर स्वयं ही कई अन्यत्र चला गया है तो उसके विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत प्रस्तुत यह कार्यवाही आगे चलाने का कोई औचित्य ही नही है। अतः पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा गैरसायल भरत कुमार पुत्र रमेशचन्द्र, जाति– जैन, निवासी– रामपुरा के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत प्रस्तुत यह कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:43:14 IST
Reason: SelfAttested